


आदेश

दिनांक-03.09.2021 को आयोजित विभागीय अनुकंपा समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के निम्नलिखित नाबालिग आश्रितों को बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कारणों से लंबित रखा गया है/वापस किया गया है:-

क्र० सं०	आश्रित का नाम/मृतक से संबंध	मृतक का नाम/पदनाम/पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	खुशबु कुमारी /पुत्री	स्व० श्याम भगत / हवलदार-962 / पटना	लंबित 1. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 की कंडिका-5 के कॉलम-3 सेवारत है कि नहीं भरा हुआ नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र में सरकारी/गैर सरकारी का जिक्र नहीं है। 3. आश्रितों का भरण-पोषण से संबंधित आवेदिका खुशबु कुमारी का शपथ पत्र अप्राप्त है।
2	हिमांशु कुमार /पुत्र	स्व० सोविन्द्र चौबे /सिपाही-5328 /पटना	लंबित विहित प्रपत्र के खण्ड-1 की कंडिका-5 के कॉलम-3 सेवारत है कि नहीं भरा हुआ नहीं है।
3	कार्तिक कुमार /पुत्र	स्व० कमलेश्वरी उराँव /सिपाही-65 /लखीसराय	लंबित विहित प्रपत्र पर आवेदक का चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है तथा इसके खण्ड-2 की कंडिका-7 में कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर अंकित नहीं है।
4	अमृत राज /पुत्र	स्व० अम्बिका राम /स०अ०नि० /अररिया	लंबित 1. अनियोजन प्रमाण-पत्र अप्राप्त। 2. मृतककर्मि अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे, दोनों पत्नी जीवित है। आवेदक किस पत्नी का पुत्र है जानकारी अप्राप्त। 3. दोनों पत्नी से उत्पन्न संतानों की अलग-अलग जानकारी आवश्यक है।
5	अजित कुमार सिंह /पुत्र	स्व० केशव चंद्र सिंह /सिपाही /बेतिया	लंबित 1. विहित प्रपत्र पर आवेदक का चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है। 2. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 की कंडिका-5 के कॉलम-3 सेवारत है कि नहीं भरा हुआ नहीं है। 3. विहित प्रपत्र का खण्ड-2 पूर्णतः रिक्त है तथा इसकी कंडिका-7 में कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर अंकित नहीं है।
6	विवेक राज /पुत्र	स्व० तीज लाल माँझी /स०अ०नि० /सुपौल	वर्तमान में आवेदक का उम्र 12 वर्ष से कम है। इनका उम्र 12 वर्ष होने के उपरान्त बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये। तत्काल आवेदक का प्रस्ताव वापस करने का निर्णय लिया गया है।


 4/11/22
 पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
 बिहार, पटना।

पत्र संख्या:—पी0-4/43-38-32-2021/...०४.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- ०४.०१.२०२

प्रतिलिपि :-

1. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, लखीसराय/अररिया/प० चम्पारण, बेतिया/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदकों के प्रस्ताव से संबंधित त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4/1/22

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण),
बिहार, पटना।